<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29012022-232982 SG-DL-E-29012022-232982

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 401
No. 52]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 401

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

फा. सं. 8(71)Forests/HQ/Plg-I/EoDB/2020-21/9904-11.—विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.10/PA/DCF/94/5131 दिनांक 08.11.1996 के आंशिक संशोधन में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम -11/1994) की धारा 34 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्वारा जनहित में निम्नलिखित संशोधन दिल्ली वृक्ष संरक्षण नियम, 1996 में बनाते है जो निम्नानुसार है:

क्रमांक	दिल्ली वृक्ष संरक्षण नियम / खंड/ फॉर्म	मौजूदा प्रावधान	मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर संशोधित और प्रतिस्थापित।
1.	नियम 4 (खंड 3)	इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पत्र पर रु. 5.00 मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प (पाँच रूपये केवल) चिपकाया/ लगाया	इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पत्र पर केवल स्व- प्रमाणित किया जाएगा ।

589 DG/2022 (1)

		जाएगा ।	
2.	फॉर्म –बी	2. अपने आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा उनके पीछे उल्लिखित कागज- पत्रों को संलग्न कर रहा हूँ।	2. अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्व- प्रमाणित तथा उनके पीछे उल्लिखित कागज- पत्रों को संलग्न कर रहा हूँ
		घोषणा :	घोषणा :
		निम्नलिखित की सत्यापित प्रतिलिपियाँ:-	निम्नलिखित की स्व- सत्यापित प्रतिलिपियाँ:-
3.	फॉर्म –सी	घोषणा	घोषणा
		निम्नलिखित की सत्यापित प्रतिलिपियाँ:-	निम्नलिखित की स्व- सत्यापित प्रतिलिपियाँ:-

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE NOTIFICATION

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2022

F. No. 8(71)Forests/HQ/Plg-I/EoDB/2020-21/9904-11.—In partial modification of Notification No. F.10/PA/DCF/94/5131 dated 08.11.1996 issued by Development Department, Govt. of NCT of Delhi and In exercise of the powers conferred by section 34 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Acts 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest makes the following amendment in Delhi Preservation of Trees Rules, 1996 as under:-

S. No.	Delhi Preservation of Trees rule/clause /form	Existing provisions	Amended and substituted in place of existing provisions.
1.	Rule 4 (clause 3)	Court fee stamps of value Rs. 5.00 (Rupees five only) shall be affixed on every application, made under these rules.	Only self-certification is required on every application, made under these rules
2.	Form-B	2. I am enclosing an affidavit and below mentioned papers in support of my application. DECLARATION: Attested copies of:-	I am enclosing a self-certification and below mentioned papers in support of my application. DECLARATION: Self-attested copies of:-
3.	Form-C	DECLARATION : Attested copies of:-	DECLARATION: Self-attested copies of:-

The Notification shall come into effect with effect from the date of publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Environment & Forests)